प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक- 21.10.2026

◆ "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆ एक राय होकर गाली गलौज, लाठी डंडे से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने मामले में मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल ₹1,500/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

◆ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी एवं अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जुर्म स्वीकृति के फलस्वरूप हुई सजा

विपक्षीगण ने एकराय होकर वादी मुकदमा के दरवाजे पर आकर गाली-गलौज की, लाठी-डंडे से मारा-पीटा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा- 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- औराई, जनपद भदोही के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं श्री अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम एवं त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष एपीओ श्री वीरेन्द्र वर्मा की प्रभावी पैरवी तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकृति करने के फलस्वरूप, मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 21.10.2026 को अभियुक्त अभियुक्तों सत्तार व इमाम (पुत्रगण यासीन, निवासी माधोसिंह, थाना औराई) को धारा 323, 504 व 506 आई.पी.सी. के तहत दोषसिद्ध किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक धारा में ₹500/- के अर्थदण्ड, अर्थात कुल ₹1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का कोई भाग अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।